योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव।

अर्द्ध.शा.प.सं.-60/10रिट/47-का-3-2014/3/5/2014
कार्मिक अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2014

आदरणीय महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित पिटीशन फार स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या-4399 आफ 2014 श्री अवध नाथ द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में प्रेषित सहायक निबन्धक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.02.2014 जो आपको भी सम्बोधित व प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मुख्य रूप से उ0प्र0 राज्य सीमेंट निगम के कर्मचारियों द्वारा सीमेंट निगम की बन्दी की तिथि 08.12.1999 से उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक वेतन आदि से संबंधित समस्त लाभ का भुगतान किए जाने की प्रार्थना की है। जहाँ तक याचिका में विखण्डन नियमावली-2003 एवं विखण्डन अधिनियम, 2009 को चुनौती के सम्बन्ध हैं, इस सम्बन्ध में उ0प्र0 सीमेंट निगम के छँटनीशुदा कर्मचारियों द्वारा शासकीय सेवा में समायोजन हेतु योजित की गयी रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विशेष अपील संख्या-1034/2009 उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य बनाम सुनील कुमार वर्मा व अन्य तथा उसके साथ सम्बद्ध अपीलों में मा0 उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इस तरह समस्त याचिकाओं तथा विशेष अपीलों में पैरवी औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की गयी है। अत: वर्णित स्थिति में उक्त याचिका में समस्त कार्यवाही/ पैरवी औद्योगिक विकास विभाग द्वारा ही समुचित रूप से की जा सकती है।

अत: अनुरोध है कि स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या-4399 आफ 2014 श्री अवध नाथ द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में विरोध/ पैरवी समस्त प्रतिवादीगण की ओर से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जाय। यदि कार्मिक विभाग का किसी बिन्दु पर परामर्श की आवश्यकता हो तो कृपया परामर्श प्राप्त करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>।

भवदीय

(योगेश्वर राम मिश्र)

श्री धीरज साहू
सचिव
औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-1)
उत्तर प्रदेश शासन।

http://cmsanadesh.up.nic.in